NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-01-2026

विषय सूची

शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन (UWM)

व्यापार बोर्ड की बैठक में राज्यों द्वारा निर्यात संबंधी चुनौतियाँ

भारत की भूमि अधिग्रहण नीति

सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए AI को प्रोत्साहन से ओपन स्कूलिंग फ्रेमवर्क आसान होगा

संक्षिप्त समाचार

सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती

रानी वेलु नाचियार

माघ मेला 2026

निरसन(Repealing) और संशोधन(Amending) अधिनियम, 2025

स्टैफिलोकोकस

GLP-1 वज़न घटाने वाली दवाएँ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नौ वर्ष

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

MSME निर्यात को सुदृढ़ करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप

गैलेक्सी फ्रॉग्स

शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन (UWM)

संदर्भ

- भारतीय शहरों में हाल ही में पीने योग्य जल में सीवेज के मिल जाने की घटनाएँ शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन (UWM) में गंभीर खामियों को उजागर करती हैं, जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती हैं।

परिचय

- **उत्पादन बनाम उपचार अंतर:** भारत लगभग 72,368 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) शहरी अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है, लेकिन उपचार क्षमता केवल लगभग 28-44% है।
- **स्वास्थ्य प्रभाव:** अनुपचारित सीवेज जलजनित रोगों (दस्त, हैजा, टायफाइड) का मुख्य कारण है, जो भारत में लगभग 80% बीमारियों और बाल मृत्यु दर के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** लगभग 55% शहरी घर सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं और सेप्टिक टैंकों पर निर्भर हैं, जो प्रायः रिसाव करते हैं या ठीक से प्रबंधित नहीं होते (सेप्टेज प्रबंधन)।

शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन की चुनौतियाँ

- **संस्थागत चुनौतियाँ:**
  - कई विभागों के बीच खंडित शासन और समन्वय की कमी।
  - शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में तकनीकी, वित्तीय और मानव संसाधन क्षमता की कमी।
- **बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ:**
  - सीवरेज और पेयजल नेटवर्क के बीच अपर्याप्त भौतिक अलगाव, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ता है।
  - पुरानी और जंग लगी जल आपूर्ति पाइपलाइनों से सीवेज का रिसाव पीने योग्य जल की लाइनों में होता है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:**
  - उच्च गैर-राजस्व जल (NRW) हानि।
  - अवास्तविक उपयोगकर्ता शुल्क और खराब संग्रह दक्षता।
  - कम लागत वसूली निजी निवेश को हतोत्साहित करती है।
- **प्रौद्योगिकी चुनौतियाँ:**
  - किफायती और ऊर्जा-कुशल तकनीकों का सीमित अपनाना।
  - सीवर कनेक्टिविटी का खराब मानचित्रण और निगरानी।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य प्रभाव:**
  - दूषित पेयजल से दस्त, हैजा, टायफाइड, पेचिश और हेपेटाइटिस A एवं E जैसे जलजनित रोग फैलते हैं।
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर और दीर्घकालिक कुपोषण का खतरा अधिक होता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - घरेलू और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि से आर्थिक उत्पादकता घटती है।
  - कार्य दिवसों की हानि से आजीविका प्रभावित होती है, विशेषकर असंगठित श्रमिकों में।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - अनुपचारित सीवेज जल निकायों में प्रवेश कर शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुँचाता है।
  - प्रदूषण सतत जल पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग के प्रयासों को कमजोर करता है।

आगे की राह

- **विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWATS):** छोटे पैमाने पर, स्थानीय उपचार इकाइयों (जैसे आवासीय सोसाइटी या पार्कों में) को लागू करना ताकि मुख्य सीवर लाइनों पर बोझ कम हो।
- **द्वि-नलसाजी प्रणाली:** नए शहरी विकासों में अनिवार्य रूप से पेयजल और पुनर्नवीनीकृत जल (फ्लशिंग/बागवानी के लिए) को अलग करना।
- **रीयल-टाइम मॉनिटरिंग:** IoT सेंसर और AI का उपयोग (जैसा कि 2025-26 CPCB दिशानिर्देशों में बताया गया है) ताकि जल-सीवेज नेटवर्क में रिसाव एवं प्रदूषण का तुरंत पता लगाया जा सके।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** "सीवरेज शुल्क" के माध्यम से ULBs की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और उपचारित अपशिष्ट जल के लिए बाजार बनाना (जैसे औद्योगिक कूलिंग या निर्माण में बेचने के लिए)।

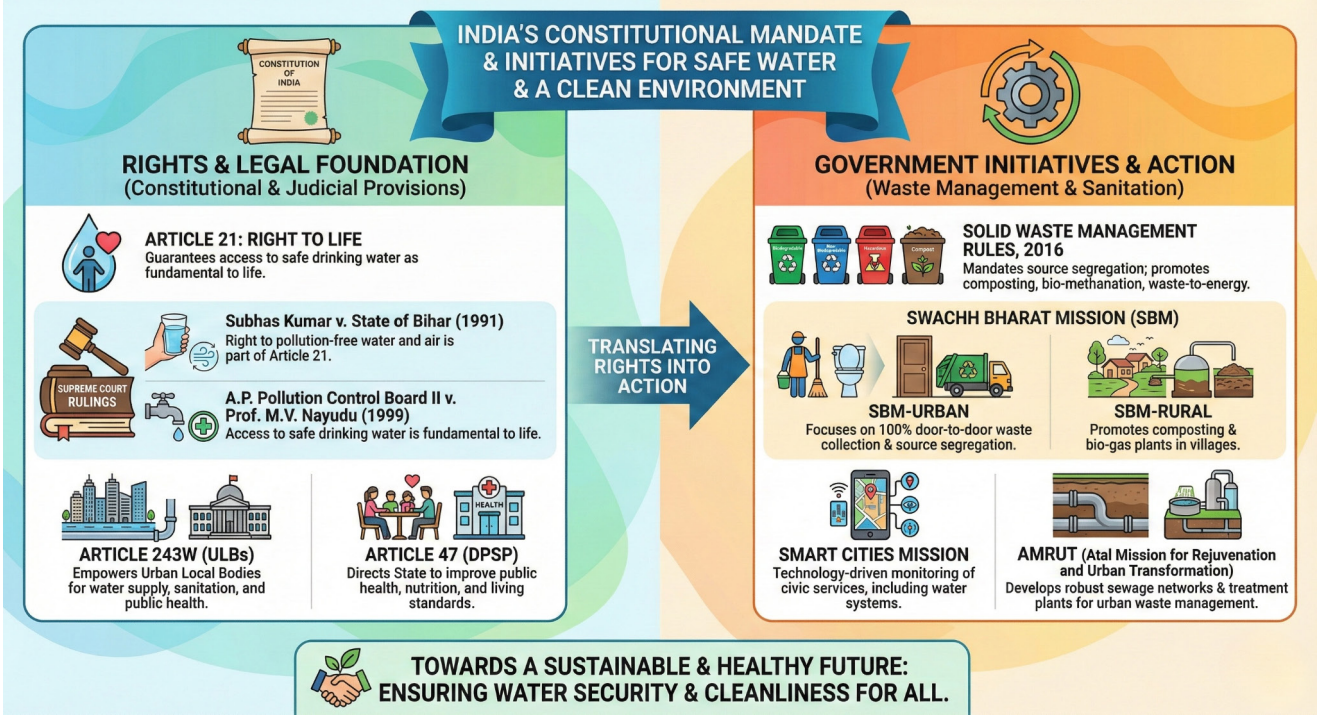

Source: IT

व्यापार बोर्ड की बैठक में राज्यों द्वारा निर्यात संबंधी चुनौतियाँ

संदर्भ

- निर्यातकों द्वारा कई चुनौतियों को व्यापार बोर्ड (BoT) की बैठक में उजागर किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने की।

परिचय

- **BoT बैठक** ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता न हो पाने के कारण अमेरिका द्वारा 50% की ऊँची टैरिफ दरें लागू की गईं, जिससे निर्यात धीमा पड़ गया।
  - व्यापार बोर्ड की बैठक में राज्यों और उद्योगों के प्रतिनिधि, साथ ही प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय को निर्यात एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सुझाव प्रदान करते हैं।
- **निर्यातकों द्वारा उठाई गई चिंताएँ:**
  - महंगे कच्चे माल, वैश्विक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण सुविधाओं की कमी, और पर्याप्त शिपिंग कंटेनरों की अनुपलब्धता से वस्तु निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता घट रही है।
  - अमेरिका की ऊँची टैरिफ दरों ने निर्यात को प्रभावित किया है, जिससे ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और भुगतान में देरी हो रही है।
  - चिंता यह भी है कि ऑर्डर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों की ओर जा सकते हैं।

व्यापार बोर्ड

- व्यापार बोर्ड (BoT) का गठन 2019 में व्यापार विकास और प्रोत्साहन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ मिलाकर किया गया।
- यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करता है।
- **कार्य:** यह सरकार को विदेशी व्यापार नीति से जुड़े उपायों पर परामर्श देता है ताकि भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
  - यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री करते हैं।

भारत का निर्यात

- निर्यात भारत के GDP का लगभग 21% है और यह भारत के लिए सुदृढ़ विदेशी मुद्रा प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- निर्यात-उन्मुख उद्योगों में सीधे और परोक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें MSMEs कुल निर्यात का लगभग 45% योगदान करते हैं।
- अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान प्रमुख निर्यात चालक रहे: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ (41.94%), इंजीनियरिंग वस्तुएँ (5.35%), दवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स (6.46%), समुद्री उत्पाद (17.40%) एवं चावल (10.02%)।
- प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे: अमेरिका (13.34%), संयुक्त अरब अमीरात (9.34%), चीन (21.85%), स्पेन (40.30%), और हांगकांग (23.53%)।
- इस तरह की निरंतर निर्यात वृद्धि ने भारत के चालू खाते के संतुलन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को समर्थन दिया है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी पहल

- **निर्यात प्रोत्साहन मिशन :** 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की।
  - यह निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग समर्थन, और MSMEs को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।
  - EPM छह वर्षों तक चलेगा, FY 2025-26 से FY 2030-31 तक।
  - इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो हालिया वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित हुए हैं, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ एवं समुद्री उत्पाद।
- **निर्यात समर्थन पैकेज:** सरकार ने 7,295 करोड़ रुपये का निर्यात समर्थन पैकेज घोषित किया है, जिसमें 5,181 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी योजना और 2,114 करोड़ रुपये का कोलेटरल समर्थन शामिल है, ताकि निर्यातकों की ऋण तक पहुँच सुधारी जा सके।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता:** भारत नए बाजारों की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है और 2025 में ओमान, न्यूज़ीलैंड एवं ब्रिटेन के साथ तीन मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

- **डिजिटल परिवर्तन:** णिज्य विभाग ने व्यापार सुविधा और खुफिया को डेटा-आधारित समाधानों के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए अपना डिजिटल परिवर्तन एजेंडा आगे बढ़ाया है।
  - ट्रेड ईकनेक्ट और व्यापार खुफिया और विश्लेषण (TIA) पोर्टल जैसी पहलें साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की बेहतर नींव रखती हैं।

निष्कर्ष

- भारतीय सरकार की व्यापक रणनीति चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के बीच अपने निर्यातकों की लचीलापन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।
- पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों की रक्षा करने और अमेरिकी टैरिफ तथा चीनी बाजार रणनीतियों के विरुद्ध दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे।

Source: IE

भारत की भूमि अधिग्रहण नीति

समाचारों में

- कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास में एक बड़ा अवरोध बना हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ब्रिटिशों ने भारत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न बंदोबस्त प्रणालियाँ लागू कर भूमि राजस्व संग्रह को मानकीकृत किया।
- तीन प्रमुख भूमि स्वामित्व प्रणालियाँ लागू थीं:
  - **जमींदारी प्रणाली:**
  - इसमें भूमि जमींदारों के स्वामित्व में होती थी, जो राज्य को भूमि राजस्व चुकाते थे, जबकि खेती उनके नियंत्रण में रहने वाले किसानों द्वारा की जाती थी।

- इस प्रणाली के दो रूप थे:
  - स्थायी बंदोबस्त, जिसमें भूमि राजस्व स्थायी रूप से तय किया गया था और यह बंगाल, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के कुछ हिस्सों में लागू था।
  - संशोधित बंदोबस्त, जिसमें राजस्व का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता था और यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांतों जैसे क्षेत्रों में प्रचलित था।
- **रैयतवारी प्रणाली:** इसमें किसान (रैयत) अपनी भूमि के मालिक और कृषक होते थे तथा भूमि राजस्व सीधे राज्य को चुकाते थे।
  - राजस्व प्रत्येक भूमि पर व्यक्तिगत रूप से आंका जाता था और बंदोबस्त अस्थायी होते थे।
  - इसे 1792 में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने बारा महल में शुरू किया और बाद में इसे बॉम्बे, असम और बिहार जैसे क्षेत्रों में विस्तारित किया गया।
- **महलवारी प्रणाली:** इसमें भूमि सामूहिक रूप से गाँव समुदाय के स्वामित्व में होती थी, लेकिन खेती व्यक्तिगत रूप से की जाती थी।
  - समुदाय राज्य को भूमि राजस्व एकत्र कर चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था।
  - यह प्रणाली महलों नामक विभाजनों पर आधारित थी और मुख्य रूप से पंजाब, आगरा एवं अवध में प्रचलित थी।

भारत की भूमि अधिग्रहण नीति की वर्तमान स्थिति

- **न्यायसंगत मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** ने औपनिवेशिक युग के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया ताकि भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक पारदर्शी और मानवीय ढाँचा प्रदान किया जा सके।
- यह 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ और 2015 में संशोधित किया गया।
- यह भूमि अधिग्रहण के लिए एक आधुनिक ढाँचा स्थापित करता है, जो प्रभावित परिवारों के लिए न्यायसंगत मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी देता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- भूमि अधिग्रहण में न्यायसंगत मुआवजा, सहमति और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित करता है, जिसमें आवास, आजीविका समर्थन, रोजगार या वार्षिकी, एवं पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा शामिल है।
  - भूमि मालिकों को शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना मुआवजा मिलता है।
- सहमति अनिवार्य है—PPP परियोजनाओं के लिए 70% और निजी परियोजनाओं के लिए 80%।
- सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण प्रतिबंधित है, और यदि अधिग्रहित किया जाता है तो समकक्ष बंजर भूमि का विकास करना आवश्यक है।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अनिवार्य है ताकि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सके।
- "सार्वजनिक उद्देश्य" को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि दुरुपयोग रोका जा सके, और अनुपयोगी भूमि को पाँच वर्षों के अंदर वापस करना या भूमि बैंक में डालना आवश्यक है।
  - रक्षा, रेलवे और परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ कुछ प्रक्रियाओं से मुक्त हैं, लेकिन मुआवजा एवं R&R अभी भी लागू होता है।
- अधिनियम पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनवाई पर बल देता है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- विवादों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (LARR) प्राधिकरण के पास ले जाया जा सकता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- अधिनियम के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं जो इसके पूर्ण क्रियान्वयन को कठिन बनाती हैं।
- कुछ चुनौतियाँ हैं:
  - प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ प्रायः विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी करती हैं।
    - कई मंजूरियाँ (वन, वन्यजीव, पर्यावरण) देरी को बढ़ाती हैं।

- लगभग 35% बुनियादी ढाँचा परियोजना समस्याएँ भूमि अधिग्रहण बाधाओं से उत्पन्न होती हैं।
- मुआवजा लागत सार्वजनिक और निजी परियोजना बजट पर दबाव डाल सकती है।
- विकास की आवश्यकताओं और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन एक विवादास्पद मुद्दा बना रहता है।
  - विस्थापन, अपर्याप्त पुनर्वास और आजीविका की हानि को लेकर चिंताएँ हैं।
- देरी परियोजना लागत बढ़ाती है, जिससे राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत का 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेकिन कार्यान्वयन में देरी एवं विवाद बुनियादी ढाँचे के विकास में बाधा डालते हैं।
- इसलिए डिजिटल भूमि अभिलेखों में सुधार, स्वीकृतियों में तीव्रता, और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- हालाँकि सरकार कानून बदलने की योजना नहीं बना रही है, लेकिन अधिक कुशल क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता है।

Source :TH

सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए AI को प्रोत्साहन से ओपन स्कूलिंग फ्रेमवर्क आसान होगा

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने शिक्षकों को एआई उपकरणों से सशक्त बनाने और देश के खुले विद्यालय ढाँचे को उदार बनाने की योजना प्रस्तुत की है, ताकि भारत की शिक्षा प्रणाली को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके।
  - यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है और 'सभी के लिए एआई-सक्षम शिक्षा' के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

शिक्षा में एआई की भूमिका

- **शिक्षकों के लिए एआई:** एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म शिक्षकों को पाठ योजना, व्यक्तिगत मूल्यांकन और छात्र सहभागिता में सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
  - एनसीईआरटी और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) मिलकर ऐसे अनुकूली डिजिटल शिक्षण उपकरण विकसित करेंगे जो छात्रों के सीखने के पैटर्न के आधार पर शिक्षण सामग्री को अनुकूलित कर सकें।
  - इसमें शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण मॉड्यूल शामिल होंगे, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और इंटेल इंडिया द्वारा 'AI फॉर ऑल' कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।
  - लक्ष्य है शिक्षकों को एआई-आधारित अंतर्दृष्टियों से सशक्त बनाना, जिससे वे सीखने के परिणामों को ट्रैक कर सकें और ज्ञान के अंतर को तीव्रता से समाप्त कर सकें।
- **खुले विद्यालय के लिए एआई:** सरकार नामांकन, प्रदर्शन ट्रैकिंग और प्रमाणन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए खुले विद्यालय ढाँचे में एआई को एकीकृत करना चाहती है।
  - इसका उद्देश्य NIOS शिक्षार्थियों को वास्तविक समय में शैक्षणिक सहायता और व्यक्तिगत प्रगति डैशबोर्ड तक पहुँच प्रदान करना है।
  - एक पायलट परियोजना 'ओपन AI स्कूल' की घोषणा की गई है, जो दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए लचीला, एआई-सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करेगी।
  - **NIOS पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:**
    - 14 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षार्थियों के लिए ओपन बेसिक एजुकेशन (OBE) (कक्षा 3, 5 और 8 के समकक्ष)
    - माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम
    - व्यावसायिक और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम

शिक्षा में एआई के अनुप्रयोग

- **डिजिटल और भाषाई अंतर का समापन:** नए एआई प्लेटफ़ॉर्म बहुभाषी होंगे, जो भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देते हुए सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करेंगे।

- यह पहल 'भाषिनी परियोजना' से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य एआई-आधारित भाषा अनुवाद ढाँचे का निर्माण करना है ताकि डिजिटल शिक्षा में समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

- **भारतीय कक्षाओं में एआई:** ग्रामीण-शहरी शिक्षा अंतर को समाप्त करने में एआई का परिवर्तनकारी उपयोग।
- **व्यक्तिगत शिक्षा बड़े पैमाने पर:** एआई की सबसे शक्तिशाली योगदानों में से एक है व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के अनुभव को अनुकूलित करना। एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म कर सकते हैं:
  - शिक्षार्थी की गति, ताकत और कमजोरियों के आधार पर सामग्री को अनुकूलित करना।
  - वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देना, जिससे छात्र तुरंत गलतियों को सुधार सकें।
  - विकलांग शिक्षार्थियों को स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच और भाषा अनुवाद जैसे उपकरणों के माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रदान करना।
- **शिक्षकों को सशक्त बनाना:** 'AI फॉर ऑल' कार्यक्रम और 'AI समर्थ' प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहलें शिक्षकों में डिजिटल क्षमता का निर्माण करती हैं। एआई शिक्षकों की सहायता कर सकता है:
  - प्रशासनिक कार्यों का स्वचालन कर, शिक्षण के लिए समय मुक्त करना।
  - डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सीखने के अंतर की पहचान करना।
  - इंटरैक्टिव, मल्टीमीडिया-समृद्ध सामग्री के साथ सहभागिता बढ़ाना।
  - नैतिक और प्रभावी एआई उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समर्थन प्रणाली प्रदान करना।
- **पूर्वानुमान विश्लेषण:** एआई मॉडल छात्र ड्रॉपआउट जोखिम का पूर्वानुमान लगाते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई सुझाते हैं।
- **भाषा और पहुँच उपकरण:** प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) अनुप्रयोग अनुवाद का समर्थन करते हैं और दिव्यांग शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं।

चुनौतियाँ और नैतिक चिंताएँ

- **डिजिटल अंतर:** ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के बीच एआई उपकरणों तक असमान पहुँच।
- **डेटा गोपनीयता:** छात्र डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **शिक्षक तैयारी:** शिक्षकों को एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता।
- **पक्षपात और पारदर्शिता:** यदि सावधानीपूर्वक डिज़ाइन न किया जाए तो एआई एल्गोरिदम सामाजिक-आर्थिक पक्षपात को सुदृढ़ कर सकते हैं।

अन्य संबंधित प्रयास और पहल

- **राष्ट्रीय एआई पोर्टल:** शिक्षा में एआई जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देने वाला मंच।
- **AI फॉर ऑल कार्यक्रम:** CBSE स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया ताकि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके।
- **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR):** डेटा-आधारित निर्णय लेने और व्यक्तिगत छात्र शिक्षा के लिए एआई का उपयोग करता है।
- **SWAYAM और DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म:** ऑनलाइन शिक्षा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई-आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हैं।
- **विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025:** इसे 2025 की शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत किया गया और प्रारंभिक विरोध के बाद समीक्षा हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। इसका उद्देश्य है:
  - शिक्षण मानकों का आधुनिकीकरण और शिक्षा परिणामों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाना।
  - आईटीआई और कौशल केंद्र जैसे गैर-पारंपरिक संस्थानों को खुले विद्यालय कार्यक्रम प्रदान करने के मार्ग बनाना।
  - विद्यालय से बाहर के युवाओं, कामकाजी पेशेवरों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लचीली, समावेशी शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना।
  - तकनीकी शिक्षा का मानकीकरण करना ताकि रोजगार सुनिश्चित हो सके और उद्यमिता को बढ़ावा मिले।

- सरकार को इसे 2026 के बजट सत्र के अंत तक पारित कराने की संभावना है।

आगे की राह

- शिक्षा में एआई को बढ़ावा देना भारत को 2030 तक एआई साक्षरता और शैक्षिक नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की व्यापक दृष्टि का भाग है।
- यह डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है और 'स्किल इंडिया' तथा 'समग्र शिक्षा अभियान' पहलों का समर्थन करता है।
- चरणबद्ध कार्यान्वयन 2026–27 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की संभावना है, जिसकी शुरुआत 200 केंद्रीय विद्यालयों और चुनिंदा NIOS अध्ययन केंद्रों में पायलट कार्यक्रमों से होगी।
- सरकार का लक्ष्य है एक अधिक समावेशी, आजीवन सीखने का ढाँचा तैयार करना, जो संस्थागत आवश्यकताओं को सरल बनाकर भारत की विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप हो।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान का स्मरण किया।

सावित्रीबाई फुले के बारे में

- सावित्रीबाई फुले, एक कवयित्री और समाज सुधारक, आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं।
- 1831 में जन्मी, उनकी शादी 10 वर्ष की आयु में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हुई थी।

मुख्य योगदान

- **महिला शिक्षा की अग्रदूत:** 1848 में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे के भिड़े वाड़ा में भारत का प्रथम कन्या विद्यालय स्थापित किया।
  - 1852 में उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता फैलाना था।
- **समाज सुधारक:** उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया।
- **वंचित समूहों की समर्थक:** उन्होंने *बालहत्या प्रतिबंधक गृह* की स्थापना की, जो गर्भवती बलात्कार पीड़िताओं और विधवाओं के लिए आश्रय स्थल था, ताकि शिशुहत्या रोकी जा सके तथा उन्हें सुरक्षित प्रसव स्थल मिल सके।
- **साहित्यिक कार्य**
  - *काव्य फुले* (1854)
  - *बावन काशी सुबोध रत्नाकर* (1892)

स्रोत: AIR

रानी वेलु नाचियार

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

परिचय

- रानी वेलु नाचियार (1730–1796) ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाली भारत की शुरुआती रानियों में से एक थीं।
- वह रामनाड राज्य के शासक राजा सेलमुथु सेतुपति की पुत्री थीं।
- 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्कोट नवाब की सहायता से उनके पति की हत्या कर दी, जिसके बाद वह भाग गईं और प्रतिरोध संगठित करना शुरू किया।
- उन्होंने भारत के प्रथम संगठित सशस्त्र विद्रोहों में से एक का नेतृत्व किया।
  - 1780 में उन्होंने सफलतापूर्वक शिवगंगई को पुनः प्राप्त किया और ब्रिटिशों को युद्ध में हराने वाली प्रथम भारतीय रानी बनीं।
- उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक शिवगंगई पर शासन किया और बाद में प्रशासन अपनी पुत्री वेल्लाची नाचियार को सौंप दिया।

- **महत्व**
  - भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक।
  - सशस्त्र प्रतिरोध में महिलाओं की भागीदारी का प्रारंभिक उदाहरण।
  - दक्षिण भारत में औपनिवेशिक विरोध का प्रतीक।
  - यह दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुका था।

स्रोत: AIR

माघ मेला 2026

संदर्भ

- 'माघ मेला 2026' का आयोजन प्रयागराज में शुरू हो गया है।

परिचय

- माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज के पवित्र क्षेत्र में संगम तट पर माघ माह में आयोजित होता है।
- यह पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है।
- प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
  - इन तीनों पवित्र नदियों का संगम स्नान और दान के महत्व को और बढ़ा देता है।
- **कल्पवास:** कई श्रद्धालु कल्पवास करते हैं, जिसमें वे पूरे महीने नदी तट पर सरल जीवन जीने का संकल्प लेते हैं — प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ध्यान करना, जप करना और दान करना।

स्रोत: IE

निरसन (Repealing) और संशोधन (Amending) अधिनियम, 2025

समाचारों में

- निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- *निरसन (Repeal)* का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कानून को समाप्त या हटाना।
- *संशोधन (Amendment)* का अर्थ है किसी वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन करना या उसमें कुछ जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापित करना।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025

- यह भारत के कानूनी ढाँचे को सुव्यवस्थित करता है, 1886–2023 के बीच बने 71 अप्रचलित या अनावश्यक कानूनों को हटाकर और प्रमुख अधिनियमों में लक्षित संशोधन करके असंगतियों को सुधारता है।

- अधिनियम दो-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है: पुराने अधिनियमों को हटाना, प्रमुख कानूनों में पहले से शामिल संशोधन अधिनियमों को समाप्त करना, और अन्य अनावश्यक कानूनों को हटाना।
  - यह *सामान्य धाराएँ अधिनियम (1897)*, *दीवानी प्रक्रिया संहिता (1908)*, *भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925)* और *आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005)* जैसे बुनियादी कानूनों को अद्यतन करता है ताकि मसौदा त्रुटियों को सुधारा जा सके तथा भाषा को आधुनिक बनाया जा सके।
- एक *सुरक्षा प्रावधान* यह सुनिश्चित करता है कि निरसन के बावजूद वर्तमान अधिकार, कानूनी प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ जारी रहें।

स्रोत: AIR

स्टैफिलोकोकस

समाचारों में

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से वायु नमूने एकत्र किए और पाया कि इनडोर और आउटडोर दोनों वातावरण में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस की उच्च मात्रा उपस्थित है।

स्टैफिलोकोकस के बारे में

- स्टैफिलोकोकस ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक *वंश* है।
- स्टैफिलोकोकस गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें सामान्यतः "स्टैफ" कहा जाता है। ये समूहों में पाए जाते हैं और त्वचा तथा श्लेष्म झिल्ली पर उपस्थित रहते हैं।
- आठ स्टैफिलोकोकस प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें *स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस* और *स्टैफिलोकोकस अर्लेटी* सबसे अधिक मानव एवं पशु-संबंधी प्रजातियाँ थीं।

स्रोत: IE

GLP-1 वज़न घटाने वाली दवाएँ

समाचारों में

- 2025 में GLP-1 वज़न घटाने वाली दवाएँ, जिनमें एली लिली *की मौनजारो (तिर्ज़ेपाटाइड)* और *नोवो नॉर्डिस्क की वेगोवी (सेमाग्लूटाइड)* शामिल हैं, भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर गईं। सीमित रोगी उपयोग के बावजूद ये शीघ्र ही उच्च-मूल्य वाली औषधीय उत्पाद बन गईं।

GLP-1

- यह एक हार्मोन है जो छोटी आंत की *एंटरोएंडोक्राइन कोशिकाओं* से पोषक तत्वों के आगमन पर स्रावित होता है।
- यह कम स्तर पर लगातार स्रावित होता है और भोजन ग्रहण करने के कुछ ही मिनटों में बढ़ जाता है।

GLP-1 दवाओं के प्रभाव

- GLP-1 दवाओं ने वज़न घटाने में क्रांति ला दी है और मोटापे से ग्रस्त रोगियों में शरीर का वज़न कम कर सकती हैं।
- GLP-1 दवाओं के ज्ञात जोखिमों में जठरांत्र संबंधी समस्याएँ, अग्नाशयशोथ, दुर्लभ थायरॉयड कैंसर, साथ ही *दुबली शरीर की मांसपेशी हानि* और *चेहरे की समयपूर्व बुढ़ापा* शामिल हैं।

स्रोत: IE

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नौ वर्ष

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक प्रमुख योजना, ने नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं।

योजना के बारे में

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक *केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख योजना* है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है।
  - इसे 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** आंशिक वेतन हानि की भरपाई हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि महिला प्रसव से पूर्व और पश्चात पर्याप्त विश्राम कर सके।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को सुधारना।
  - दूसरी संतान यदि कन्या हो तो अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन देकर कन्या शिशु के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- **लाभ:** लाभ प्रथम दो जीवित संतान तक उपलब्ध है, बशर्ते दूसरी संतान कन्या हो।
  - प्रथम संतान के लिए पाँच हजार रुपये का नकद लाभ।
  - दूसरी कन्या संतान के लिए छह हजार रुपये का नकद लाभ।
- नकद प्रोत्साहन दो किस्तों में दिया जाता है, जैसा कि तालिका में निर्धारित है।

Instalment	Conditions	Amount
First Instalment	On registration of pregnancy and at least one Ante-natal check-up within 6 months from LMP date at the Anganwadi Centre (AWC)/ approved Health facilities may be identified by the respective administering State /UT	₹ 3,000/-
Second Instalment	1. Child Birth is registered 2. Child has received first cycle of BCG, OPV,DPT and Hepatitis-B or its equivalent/substitute	₹ 2,000/-

- **विशेष प्रावधान:** लाभ केवल लाभार्थी के *आधार नंबर* के आधार पर ही उपलब्ध होगा ताकि किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति या कदाचार से बचा जा सके।
- गर्भपात/मृत जन्म की स्थिति में, भविष्य की किसी भी गर्भावस्था में लाभार्थी को नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।

स्रोत: AIR

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ₹22,919 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के अंतर्गत 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

- **उद्देश्य:** एक सुदृढ़ कंपोनेंट निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, निवेश (वैश्विक/घरेलू) आकर्षित करना और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) से जोड़ना।
- **योजना के अंतर्गत लक्षित खंड श्रेणियाँ:**
  - सब-असेंबली
  - बेयर कंपोनेंट्स
  - चयनित बेयर कंपोनेंट्स
  - सप्लाई चेन इकोसिस्टम और कैपिटल उपकरण
  - सब-असेंबली – दूरसंचार
- **प्रोत्साहन के प्रकार:**
  - टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन
  - कैपेक्स प्रोत्साहन
  - हाइब्रिड प्रोत्साहन
- **योजना की अवधि:**
  - **टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन:** छह वर्ष, एक वर्ष की तैयारी अवधि के साथ।
  - **कैपेक्स प्रोत्साहन:** पाँच वर्ष।

वैश्विक परिदृश्य (इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र):

- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का अनुमान लगभग US$ 4.3 ट्रिलियन है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स GVC जटिल है, जिसमें चीन, ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान, मेक्सिको और मलेशिया जैसे चुनिंदा देश शामिल हैं।
- चीन विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा रखता है।
- **भारतीय परिदृश्य:** भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र 2024-25 में ₹11.3 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो 2014-15 के ₹1.9 लाख करोड़ से छह गुना वृद्धि है।

स्रोत: TH

MSME निर्यात को सुदृढ़ करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप

संदर्भ

- सरकार ने MSME निर्यात को सुदृढ़ करने और व्यापार वित्त तक पहुँच सुधारने के लिए *निर्यात प्रोत्साहन मिशन* के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत *निर्यात प्रोत्साहन (NIRYAT PROTSAHAN)* उप-योजना में दो प्रमुख हस्तक्षेप शुरू किए।

निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी

- यह प्री और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी से संबंधित है।
- **उद्देश्य:** निर्यात ऋण की लागत कम करना और MSME निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली कार्यशील पूंजी बाधाओं को आसान बनाना।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - 2.75% की आधार ब्याज सब्सिडी, अधिसूचित कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की संभावना।
  - केवल अधिसूचित *HS छह-अंकीय स्तर* की सकारात्मक सूची के अंतर्गत निर्यात पर लागू।

निर्यात ऋण के लिए कोलेटरल गारंटी समर्थन

- यह निर्यात ऋण के लिए कोलेटरल समर्थन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य MSME निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली कोलेटरल बाधाओं को दूर करना और बैंक वित्त तक पहुँच सुधारना है।
- इसे *क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE)* के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है।
- **गारंटी कवरेज:**
  - माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए 85% तक।
  - मीडियम निर्यातकों के लिए 65% तक।
  - प्रति निर्यातक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10 करोड़ तक की गारंटी।

स्रोत: AIR

गैलेक्सी फ्रॉग्स

संदर्भ

- एक अध्ययन के अनुसार, सात गैलेक्सी फ्रॉग्स का समूह पश्चिमी घाट से गायब हो गया, जिसका कारण फोटो पर्यटन से उत्पन्न व्यवधान और व्यवहारिक परिवर्तन बताया गया।

परिचय

- गैलेक्सी फ्रॉग्स (*मेलानोबैट्राचस इंडिकस*) विश्व के सबसे दुर्लभ उभयचरों में से एक हैं, जो केवल केरल के पश्चिमी घाट में सड़े हुए लकड़ी के लट्ठों के नीचे रहते हैं।
- गैलेक्सी फ्रॉग्स सर्वप्रथम 1878 में खोजे गए थे। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है क्योंकि इन्हें ढूँढना कठिन है।
- इनके जीवित रहने के लिए सटीक पारिस्थितिक परिस्थितियाँ जैसे तापमान और आर्द्रता आवश्यक हैं।
- यह भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों के दक्षिणी पश्चिमी घाट के *आर्द्र सदाबहार वनों* में स्थानिक हैं।
- इनका आकार 2 सेमी से 3.5 सेमी तक होता है और ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते।
  - वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने धब्बों का उपयोग संचार के लिए करते हैं।

- 2021 में इन्हें केरल के *मथिकट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान* की *फ्लैगशिप प्रजाति* घोषित किया गया।
- वर्तमान में यह प्रजाति *IUCN रेड लिस्ट* में*सुभेद्य* श्रेणी में सूचीबद्ध है।

स्रोत: IE

■■■■